राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **6215/2018**

दामोदर लाल गुप्ता पुत्र श्री नानाग्राम गुप्ता, निवासी सी-1, सेठी कॉलोनी, जयपुर राज.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. संयुक्त सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

3. अतिरिक्त निदेशक खान, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

4. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री केदार सोलंकी
प्रतिवादी के लिए	:	श्री राहुल लोढ़ा, अपर सरकारी अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

आदेश

23/07/2024

1. यह याचिका खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता द्वारा अल्पकालिक परमिट (संक्षेप में 'एसटीपी') के विरुद्ध देय राशि की वसूली के लिए जारी दिनांक **31.07.2014**, **29.01.2015** और **03.02.2018** के नोटिसों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि **02.04.2006** को याचिकाकर्ता को ईंट बनाने के लिए मिट्टी के खनन हेतु अल्पकालिक परमिट प्रदान किया गया था। दिनांक **15.02.2006** के पत्र के अनुसरण में **83,510/-** रुपये की राशि जमा की गई थी और **26.03.2007** को याचिकाकर्ता ने अल्पकालिक परमिट को सरेंडर करने के लिए एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादी के कार्यालय में आवेदन गुम हो गया, याचिकाकर्ता ने 23.06.2007 को एक और आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन को खनन अभियंता द्वारा 29.06.2007 को खारिज कर दिया गया और 06.08.2007 को मांग नोटिस जारी किया गया। मांग जमा करने में विफल रहने पर, सुरक्षा राशि को दिनांक 19.01.2008 के आदेश द्वारा जब्त कर लिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.01.2008 के चुनौतीप्राप्त आदेश के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण में आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए प्रत्यावर्तित किया गया। प्रत्यावर्तन के बाद, बकाया राशि की वसूली के लिए चुनौतीप्राप्त नोटिस जारी किए गए, इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गई है।

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:07:16 PM)

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने चुनौतीप्राप्त आदेश को रद्द कर दिया था और बिना कोई आदेश पारित किए, वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि नोटिस जारी किए गए थे लेकिन याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ और प्रत्यावर्तन कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकी।

5. याचिकाकर्ता पुनरीक्षण में सफल रहा और चुनौतीप्राप्त आदेश को रद्द कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय के बाद कोई मांग आदेश मौजूद नहीं था। प्रत्यावर्तन के बाद, कोई आदेश पारित नहीं किया गया था लेकिन वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे। यह एक सुस्थापित विधि है कि वसूली नोटिस किसी मांग आदेश के बाद ही जारी किए जाने चाहिए।

6. चुनौतीप्राप्त नोटिस रद्द किए जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 4- खनन अभियंता को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2004 के आदेश के माध्यम से प्रत्यावर्तन के अनुसरण में कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

7. आगे की जटिलताओं से बचने के लिए, याचिकाकर्ता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से 23.08.2024 को सुबह 11 बजे खनन अभियंता के कार्यालय में प्रत्यावर्तन के अनुसरण में निर्णय के लिए उपस्थित हो।

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:07:16 PM)

8. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

चंदन/रिया/80

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE
Office At-
O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road,
Jaipur- 302018
M:- (+91)9001197999
R/5754/2022

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:07:16 PM)